

डिस्कलेमर

परामर्श पत्र संख्या 33/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इंडियन ऑयल स्कार्फैटिंकिंग देहली प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 23 फरवरी, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसकी वजह से विश्व भर के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की स्थिति होने के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण का मत इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 फरवरी, 2022 के परामर्श पत्र संख्या 33/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती हैं:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

ऐरा प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : trilok@aera.gov.in ; satish.kr@aera.gov.in:

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	22.03.2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	04.04.2022

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 13 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय और पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार		पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.14.1	आईओएसडीपीएल के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में आईटीपी सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए “सिंगल टिल” आधार पर “प्राइस कैप अप्रोच” अपनाना।	12
अध्याय संख्या 3	3.10.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन श्रूपट (मात्रा) को मानना।	15
	3.10.2	अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर ईंधन श्रूपट की मात्रा को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 4.	4.20.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानना।	21
	4.20.2	पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार कैपेक्स संबंधी लक्ष्य प्राप्त न किए जाने पर टू-अप के दौरान अगली नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% राशि घटाना।	
	4.20.3	अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 5.	5.7.1	तालिका 16 के अनुसार आईओएसडीपीएल, दिल्ली की परिसंपत्तियों पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानना।	23
	5.7.2	अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर मूल्यहास को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 6	6.8.1	तालिका 19 के अनुसार आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।	25
	6.8.2	वहन किए गए वास्तविक कैपेक्स और परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि में आरएबी को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 7	7.7.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 14% प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।	26
अध्याय संख्या 8	8.4.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।	27
अध्याय संख्या 9	9.13.1	तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के प्रयोजन से उपर्युक्त तालिका 28 में बताए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानना।	32
	9.13.2	राजस्व हिस्सेदारी को 5% की दर से नियत करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए इसे टू-अप किया जाएगा।	
	9.13.3	अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टू-अप करना।	

अध्याय संख्या 10	10.5.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर के निर्धारण के लिए तालिका 30 में दर्शाए अनुसार कर के प्रावधान को मानना।	42
	10.5.2	तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक कर देयता के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि में कर की राशि को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 11	11.9.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए तालिका 34 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	45
	11.9.2	अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर एआरआर को टूअप करना।	
अध्याय संख्या 12	12.6.1	आईओएसडीपीएल, दिल्ली के लिए संलग्नक -I के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ दर को मानना।	48

अध्याय 14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

- 14.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13 – प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।
- 14.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और ऐरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 14.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 13 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **22.03.2022** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)

